अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 82/2012

सुधीर कुमार दास एवं अन्य –– अपीलार्थी

वनाम

अनिल यादव एवं अन्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, के आदेश दिनांक 27.12.2011 ई० दखल दिहानी अन्दर वाद संख्या 18/2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि संदर्भ वाद में मौजाः पिलुआहा पुराना खाता 140 एवं 3302, खेसरा पु0 2121 रकबा 0–14 –0 (चौदह) कट्ठा में से 2 कट्ठा 10 धूर भूमि विवाद का मूल विषय प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि प्रश्नगत भूमि भूपेन्द्र लाल दास के रैयती भूमि थी। पूराना खेसरा संख्या 2121, 2122, 2120 एवं 2119 से नया खेसरा संख्या 3302 कुल रकबा 3 एकड़ 3 डीसमल बना। भूपेन्द्र लाल दास ने अपने जीवन काल में ही उपरोक्त भूमि को अपने पुत्रों एवं पुत्रबधुओं के बीच बँटवारा कर दिया जिसे दिनांक 18.05.07 को सरपंच, वार्ड सदस्य एवं अन्य पंचों की उपस्थिति में उनके समक्ष पंचनामा पर हस्ताक्षर कर सभी हिस्सेदारों द्वारा स्वीकार कर सहमति प्रदान की गयी। भूपेन्द्र लाल दास के द्वारा उनके जीवनकाल में किए गये बँटवारें को मानते हुए दिनांक 18.05.2007 को तामिल पंचनामा पूर्णतः एवं स्वभाविक रूप से सभी को मान्य था तदनुसार रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा एक कट्ठा 10 धूर भूमि दिनांक 30.08.96 को विशुनदेव यादव के नामे तामिल किया गया लेकिन विवाद तब उत्पन्न हुआ जब विपिन कुमार रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा अपीलार्थी की भूमि 2 कट्ठा 10 धूर खेसरा संख्या 2121 पूराना, खेसरा संख्या 3302 नया दिखाते हुए दिनांक 23.12.10 को अनिल यादव के नामे तामिल कर दिया गया। खेसरा संख्या 2121 पूराना में

रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष का कोई हक हिस्सा नहीं था एवं उक्त भूमि अपीलार्थी एवं वीणा कुमारी के हिस्से की भूमि है। आपुसी बँटवारा के आधार पर अपीलार्थी एवं वीणा कुमारी को हिस्से के तौर पर जो भूमि दिया गया था उस पर उनके द्वारा दखल किया गया एवं उनके द्वारा दिनांक 11.07.07 को निबंधित बिक्री दस्तावेज द्वारा तामिल किया गया इसके आधार पर सोनी देवी 01 कट्ठा 10 धूर भूमि एवं बेबी देवी 01 कट्ठा 10 धूर भूमि पर दखलकार हुई। दाखिल खरीज कराकर कुल रकबा 3 कट्ठा हेतु अपने नाम से जमाबंदी संख्या 1253 कायम कराया। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बन्दोबस्ती 1996 में भूपेन्द्र यादव को कर दिया गया। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि की बिक्री करने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है, जिन्होंने वर्ष 2010 में अपीलार्थी की हिस्से की भूमि को निबंधित दस्तावेज के माध्यम से बिक्री कर चुके है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलार्थी को उनके हिस्से की भूमि रकबा 2.10 धूर से जबरन बेदखल कर दिया गया है।

रेस्पोण्डन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 एवं 2 पुत्र एवं पिता तथा रेस्पोण्डेन्ट संया 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि विपिन कुमार दास पिता स्व0 भूपेन्द्र लाल दास ग्राम – पिलुआहा थाना– जदिया, जिला– सुपौल से निबंधित बिक्री दस्तावेज से क्रय किया गया था एवं क्रेता बाद खरीदगी के उक्त भूमि पर दखलकार हुए। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि क्रय किये जाने के उपरांत अपना नाम बिहार सरकार सिरिस्ता में दर्ज कराया एवं कुल रकबा 2.10 धूर भूमि हेतु जमाबंदी संख्या 1456 कायम कराकर नियमित रूप से मालगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी के पिता के नाम से दर्ज जमाबंदी संख्या 76 से ही रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि खरीद करने के उपरांत नया जमाबंदी संख्या 1456 कायम हुआ एवं शेष भूमि अभी भी उनके विक्रेता के पिता के नाम से ही कायम है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि ***निम्नन्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपील न्यायालय में पक्षकार बनाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।*** निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा